SHRI DIPEN. GHOSH Sir, we can pass these two Appropriation Bills without any debate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : No, there are hon. Members who are waiting.

SHRI M. M. JACOB : Sir, I have one point.

SHRI CHATURANAN MISHRA : Sir the Appropriation (No. 3) Bill, 1990 should be taken up.

SHRI M. M. IACOB •. Sir, last time, the Finance Bill was bulldozed in this House and nobody ever opened his mouth on the Finance Bill. In this background at least a nominal time may be allotted to the finance Bill and the Appropriation Bill now. Of course, one hour is set apart. It can even be reduced. But you give some time for this. And if the House is going to sit longer, then you have to think about the arrangement of food also. I hope it may not be that much. The Minister of Industry is today sitting here. Yesterday, he was not here. We are not particular also. *(Interruptions)* .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAII MASODKAR) : I must tell you. I was given to understand that there will be no discussion and the Bills would be passed. But anyway, it is for the House to decide and I cannot stop the discussion.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : Sir, it is for the House to decide. I had a talk with the Leader of the Opposition in the evening and he also agreed that these two other matters can be passed without much debate

If any Member wants to participate, I have no objection at all. It is just a suggestion to the House. I am not stopping a debate at all. It is for the House to decide, as I said. But if we can finish it quickly, it will be better.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Yes, we will try to finish it quickly.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Can we know whether the Session is going to be extended or it is going to end tomorrow ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : No, it is not being extended, *(Interruptions).* Now, let us not waste time. *{Interruptions).*

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Some Members are sitting for that. Is the discussion on the industrial policy going to be taken up ? *(Interruptions).* Are you going to bury the industrial policy ? Or will it be taken up tomorrow ? *(Interruptions)*.

PROF. MADHU DANDAVATE : We will worry about it tomorrow. There is no question of burying it today.

SHRI V. NARAYANASAMY: It has been postponed for more than two weeks. There is no justification in that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : There is a common complaint about that. I know. Let us decide the agenda today. Now we will take up the Appropriation (No. 3) Bill, 1990 and then the Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1990. And there is one statutory resolution which does not involve any discussion.

SHRI KAMAL MORARKA : If on the Appropriation (Railways) Bill there is going to be no discussion, it can be passed first.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : These are Bills which evoke some debate. Now, the Appropriation (No. 3) Bill, 1990.

The Appropriation (No. 3) Bill, 1990

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE) : Sir, I beg to move :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1990-91, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Prof. Madhu Dandavate?

The question was proposed,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Mr. Minister, do you want to say anything ?

PROF. MADHU DANDAVATE : I only want to say, let us try to pass it without discussion.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal) : Let it be passed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Shri Suresh Pachouri. He is not there. Kumari Sayeeda Khatun.

SOME HON. MEMBERS : Let it be passed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Let us hear the hon. Member.

कुमारी साईदा खातून (मध्यप्रदेश) : माननीय महोदय आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल 1990 पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको आभारी हूं। चूंकि समय कम है इसलिए मैं कुछ थोड़े से सुझाव आपके समक्ष रखना चाहती हूं।

महोदय, पहला सुझाव तो यह है कि आपकी सरकार ने गोल्ड कंट्रोल को खत्म करने के बाद गोल्ड रिफाइनिंग के साधन इंडिया गवर्नमेंट मिंट को दिए हैं । इससे व्यापारियों और जनता को बड़ी असुविधा होगी । इसलिए हर जिले में रिफाइनिंग लाइसेंस दिए जाने चाहिए। मिंट के अलावा रिफाइनिंग करने पर गोल्ड वैल्यू का 15 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगा देने से छोटे व्यापारियों को बड़ी असुविधा होगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है ?

इसी तरह से आपने सिल्वर का जो नोटिफाई किया है पूरे देश में वह भी अनुचित है। यह केवल सी-कोस्ट में ही लागू किया जाए क्योंकि आम जनता इससे काफी परेशानी महसूस कर रही है।

इसी तरह से आपने जो अनुदान राशि इस बजट में पुलिस पर खर्च करने का प्रावधान रखा है तो मेरी आपसे विनती है कि पुलिस विभाग के अंतर्गत ही जेल विभाग आता है। उसको अनुदान राशि पिछले वर्ष भी दे दी गई थी और वह राशि नई जेलों के खोलने के लिए रखी गई थी । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस राशि का मध्य प्रदेश सरकार कोई उपयोग न करके शायद इसकी टोपी उसका सर वाली बात रही है। कांग्रेस सरकार ने पूर्व में 90 नई जेलें मध्य प्रदेश में खुलवा दी थीं लेकिन उन जेलों को पैसा न देने की वजह से वहां पर कोई और नई जेल नहीं खोली जा सकी है क्योंकि न तो जेलर की और न ही वार्ड की नियुक्ति के लिए कोई राशि प्रदेश सरकार ने खर्च की। अतः आपसे निवेदन है कि जो राशि जिन मदों में अनुदान स्वरूप दी जा रही है, उसे उन्हीं मदों में खर्च किया जाना चाहिए । 8.00 P.M. केन्द्रीय सरकार द्वारा जो खर्च किया जाना है तो आपका बिजली विभाग ऐसा है जहां पर ठीक ढंग से काम किया जाना चाहिए । 24 घंटे में से 4 घंटे भी बिजली आ गई तो कुछ काम चल सकता है । बिहार में भी बिजली की सबसे ज्यादा परेशानी है । तो हर क्षेत्र में बिजली की, शिक्षा की और जिन-जिन विषयों के लिए अनुदान की राशि आपने मांगी है, मेरा आपसे अनुरोध है कि सब में वह बांटा जाना चाहिए, सबको दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : मान्यवर, वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से 37 करोड़ 38 लाख रु. की राशि विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1990 के द्वारा लेने के लिए वित्त मंत्री जी लाए हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं इस आशा के साथ कि आप मध्य प्रदेश के साथ न्याय करेंगे।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और अपनी बात संक्षेप में करूंगा । मध्य प्रदेश सरकार ने जो राशि विभिन्न लंबित योजनाओं

और प्रस्तावों को पूरा करने के लिए चाही हैं उस पर चूंकि विभिन्न मंत्रालयों के लिए पैसा मांगा गया है, जैसे मिनिस्ट्री आफ एनवायर्नमेन्ट है, पावर है, इरिगेशन है, तो आप उनको सारी राशि प्रदान करें और आवश्यक रूप से प्रदान इसलिए करें क्योंकि संभव है कि यह मेरी फेयरवैल स्पीच हो आपकी सरकार के लिए और यह भी संभव है कि यह सत्तारूढ़ दल के लिए आखिरी सत्र हो इसलिए आवश्यक रूप से मध्य प्रदेश जो कि पिछड़ा हुआ राज्य है, आदिवासी बहुल प्रदेश है, तो उसके लिए यह सारी राशि शीघ्रातिशीघ्र स्वीकार करें।

माननीय, डाकग्रस्त क्षेत्र में सड़क निर्माण, आदिवासी क्षेत्र में ग्रोथ सेंटर को जोड़ने के लिए सड़क, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र में पक्की सड़कों का निर्माण, केन्द्रीय सड़क निधि के कार्य, नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना, विश्व बैंक से सहायता से इंदौर बाइपास तथा इंदौर देवास मार्ग का निर्माण, का प्रस्ताव 1984 में मध्य प्रदेश शासन के लोकनिर्माण विभाग के पत्र क्र. 1501/2019/19/ यो /84 द्वारा भेजा गया था जिसमें 14 सड़कों के निर्माण हेतु जिनकी कुल लंबाई 243.9 किलोमीटर है तथा लागत 1240.37 लाख रुपए है। डाकग्रस्त सड़कों के निर्माण के द्वितीय चरण के प्रस्ताव जनवरी 1985 में भेजा गया जिसके लिए 52 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। आदिवासी क्षेत्र में ग्रोथ सेन्टर को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का प्रस्ताव 119.22 करोड़ रुपए का है जो मई, 1983 में भेजा गया। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र में पक्की सड़क का निर्माण करने के लिए स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। 1984 में सात मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सिफारिश की गई थी जिसे नवंबर 1985 में भेजा गया था, लेकिन उसकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्रीय सड़क निधि के कार्य के लिए 92.83 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है जो आगामी 6 वर्षों के लिए है और 1990-91 के लिए 15 करोड़ की राशि मांगी गई है।

इंदौर बाइपास तथा देवास-इंदौर मार्ग का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से किया जाना है जो अगस्त 1989 में भारत सरकार को भेजा गया लेकिन उसकी स्वीकृति अभी तक नहीं आई है।

प्रो. मधु दंडवते : पंजाब के बजट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अगले साल के बजट के समय उस पर हम विचार करेंगे। . . .

श्री सुरेश पचौरी : मैं एप्रोप्रियेशन नं. 3 बिल पर बोल रहा हूं, पंजाब के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं . . . (**व्यवधान**)

खुद मधु दंडवते जी जब भोपाल आए थे तो उस समय उनको यह मैमोरेंडम दिया गया था कि भोपाल गैस ट्रेजडी से पीड़ित लोगों के लिए जो एक्शन प्लान बना था उसके लिए 371.29 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। वह पूरी की पूरी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाए और पूरा कंपेंसेशन का जो एमाउंट है वह उससे न काटा जाए। जब आप ये एप्रोप्रियेशन बिल ला रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे आशा है कि उस पर विचार करेंगे। जो वहां की बोधघाट परियोजना है यह मिनिस्ट्री आफ एनवायरनमेंट के पास स्वीकृति के लिए पड़ी हुई है और नर्मदा सागर (इंदिरा सागर) परियोजना पर्यावरण के विवाद में फंसी हुई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं जिनमें झाबुआ, राजगढ़ गुना, ग्वालियर में गैस पर आधारित 450 मैगावाट के विद्युत संयंत्रों के लिए अनुरोध किया गया है।

[श्री सुरेश पचौरी]

इसके साथ एक रिप्रजेन्टेशन पेट्रोलियम और कैमिकल मिनिस्टर को दिया था रिफाइनरी के संबंध में और दूसरा गैस अलोकेशन के संबंध में और उन्होंने वित्तीय कठिनाई बताई थी । मैं चाहूंगा कि जब इस पर आप विचार कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश को कुछ राशि देने पर विचार करें। यही मेरा आपसे आग्रह है ।

PROF. MADHU DANDAVATE: I think the points are so clear that they don't need a reply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Now the question is —

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1990-91, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion** was **adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses **2** ***and*** 3 *and the* ***Schedule were added to the Bill.***

Clause* 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

PROF. MADHU DANDAVATE : Sir, I move —

"That the Bill be returned." ***The question was put and the motion was adopted.***

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Before we take up the Appropriation (Railways) Bill, shall we finish the Statutory Resolution ?

SOME HON. MEMBERS : Yes, yes.

STATUTORY RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF THE DRAFT MINISTERS' (ALLOWANCES, MEDICAL TREATMENT AND OTHER PRIVILEGES AMENDMENT RULES, 1990

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : Mr. Vice-Chairman, on behalf of Shri Mufti Mohammad Sayeed, I move —

"That this House approves the draft Ministers' (Allowances; Medical Treatment and other Privileges) Amendment Rules, 1990 framed under sub-section (1) of Section 11 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952) and laid on the Table of the Rajya Sabha on 22nd August, 1990."

The question was proposed.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka) : Sir, the resolution is only for the Ministers. Members have the facility of only 50,000. Will they increase it to 80,000 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY) : We will consider it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) : Now the question is :

"That this House approves the draft Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Amendment Rules, 1990 framed under sub-section (1) of Section 11 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952) and laid on the Table of the Rajya Sabha on 22nd August, 1990."

The motion** was **adopted.

THE APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL, 1990

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI AJAY SINGH) : Mr. Vice-Chiarman, I move —

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1990-91 for the purposes of Railways, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

SHRI S. B. CHAVAN (Maharashtra) : Mr. Vice-Chiarman, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to speak on this Bill.